न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 80 सन 2012

अनवान :–

1. सुगनाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

सायल

बनाम

1. मनफुल पुत्र हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. सुलतान पुत्र हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. सजना पुत्री हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. रेशमी पुत्री हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. जानो पुत्री हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. गुडडी पुत्री हस्तीराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 09/05/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के पिता एवं 12 के पति किशनाराम व गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता हस्तीराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 कुरडाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 के पिता हरचन्द एवं कालूराम पांच भाई थे जो गिरधारी पुत्र शालु के सन्तान थे जिनमें से उक्त पांचों भाई व उनकी पत्नीया सिवाय किशना की पत्नी नानू को छोडकर समस्त फोत हो गये सायल व गेरसायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण उनके वारिसान है।

रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 5 की साबिका खसरा संख्या 54 की 9.15 बीधा व खसरा संख्या 116 की 76 बीधा 13 बिश्वा कुल 86.08 बीधा व खाता संख्या 13 की 53 मीन में 65.12 बीधा भूमि थी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा भोगराना वरवक्त पैमाईश भू प्रबन्धक विभाग के साबिका खसरा संख्या 54 ,116 ,53 के वर्तमान खसरा संख्या 216 ,205 ,215 में मुर्तिब किये गये थे।

कालूराम पुत्र गिरधारी बेऔलाद फोत हो गया उसके हिस्सा की भूमि सैटलमेन्ट विभाग के यहा भू0प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही के दरम्यान खाता विभाजन करवा कालुराम के हिस्सा की भूमि 393–1/2 हिस्सा की भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता ने अपने साथ खाता अलग दर्ज करवा ली जबकि कालू बेऔलाद फोत होने से कालू की 393–1/2 हिस्सा भूमि में उसके अन्य चार भाई सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के पिता एवं 12 के पति किसानाराम व गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता हस्ती एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 के पिता कुरडाराम व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 के पिता हरचन्द उक्त चारो 393–1/2 हिस्सा भूमि कालू के हिस्सा की भूमि कालू के देहान्त होने के बाद खातेदार काश्तकार हुऐ कालूराम व हस्ती का खसरा संख्या 215 की 39 बीधा 7 बिश्वा में सयुक्त तौर से दर्ज हुवा जो सम्वत 2029 से 2038 की मिसल बन्दोंवस्त से रोशन है तत्पश्चात कालू की मृत्यू के बाद उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 ने अपने नाम कतई अनूचित एव गलत तौर से दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि कालू के अन्य चार भाई उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे ।

खाता संख्या 76/70 रोही मौजा भोगराना के खसरा संख्या 215 की 9.9530हैक में से 4.9765हैक भूमि कालू की होने के कारण सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

[illegible] गैरसायल संख्या 1 ता 6 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 प्रत्येक संयुक्त तौर से 1/4 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए प्राप्त हो जाते है उस उसकी भूमि गैरसायल संख्या 1 2 ने अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवाई है तथा गैरसायल संख्या 1 2 का नाम खातेदार काश्तकार सायल एवं गैरसायल एवं तरतीबी प्रतिवादी के साथ दर्ज करवाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 2 उक्त भूमि अपने कब्जे के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि अन्यत्र रहन बेच या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है गैरसायल संख्या 1 2 अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 2 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 76/70 की खसरा संख्या 215 की 9.9530है0 भूमि को रहन बेच या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की

कालूराम पुत्र गिरधारी ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत गैरसायल संख्या 1 ,2 के पक्ष में दिनांक 05.01.1994 को करदी थी कालुराम पुत्र गिरधारी का दिनांक 02.02.1992 को देहान्त हो गया बाद देहान्त गैरसायल संख्या 1 ,2 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये सायल का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है।

सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है प्रार्थना पत्र सायल मन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है कालूराम की वसीयत के अनुसार गैरसायल संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है सायल का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही सायल किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल विवातिद भूमि का रिकार्डड खातेदार काश्तकार है ना ही उतरदाता का विवादित भूमि को रहन बैय करने का कोई उदेश्य है उतरादाता रिकार्डड खातेदार काश्तकार होने के कारण गैरसायल उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल ने गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मोजा सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के पिता एवं 12 के पति किशनाराम व गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता हरतीराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 कुरडाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 के पिता हरचन्द एवं कालूराम पांच भाई थे जो गिरधारी पुत्र शालु के सन्तान थे जिनमें से उक्त पांचों भाई व उनकी पत्नीया सिवाय किशना की पत्नी नानू को छोडकर समस्त फोत हो गये सायल व गेरसायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण उनके वारिसान है।

रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 5 की साबिका खसरा संख्या 54 की 9.15 बीधा व खसरा संख्या 116 की 76 बीधा 13 बिश्वा कुल 86.08 बीधा व खाता संख्या 13 की 53 मीन में 65.12 बीधा भूमि थी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा भोगराना वरवक्त पैमाईश भू प्रबन्धक विभाग के साबिका खसरा संख्या 54 ,116 ,53 के वर्तमान खसरा संख्या 216 ,205 ,215 में मुर्तिब किये गये थे।

कालूराम पुत्र गिरधारी बेऔलाद फोत हो गया उसके हिस्सा की भूमि सैटलमेन्ट विभाग के यहा भू0प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही के दरम्यान खाता विभाजन करवा कालुराम के हिस्सा की भूमि 393–1/2 हिस्सा की भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

साथ खाता अलग दर्ज करवा ली जबकि कालू बेऔलाद फोत होने से कालू की 393-1/2 हिस्सा भूमि मे उसके अन्य चार भाई सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के पिता एवं 12 के पति किसनाराम व गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता हस्ती एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 के पिता कुरजाराम व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 के पिता हरचन्द उक्त वाले 393-1/2 हिस्सा भूमि कालू के हिस्सा की भूमि कालू के देहान्त होने के बाद खातेदार काश्तकार हुऐ कालूराम व हस्ती का खसरा संख्या 215 की 39 बीघा 7 बिस्वा मे संयुक्त तौर से दर्ज हुआ जो सम्वत 2029 से 2038 की मिसल बन्दोबस्त से रोशन है तत्पश्चात कालू की मृत्यू के बाद उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 ने अपने नाम कराई अनुचित एव गलत तौर से दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि कालू के अन्य चार भाई उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे ।

खाता संख्या 76/70 रोही मौजा भोगराना के खसरा संख्या 215 की 9.9530हैक्ट में से 4.9765हैक्ट भूमि कालू की होने के कारण सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 व गैरसायल संख्या 1 ता 6 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 , प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 प्रत्येक संयुक्त तौर से 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए कालू के मरने के बाद उसकी भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 ने अपने नाम साजिना तोर से दर्ज करवाई है सायल गैरसायल संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन करवाकर सायल एवं गैरसायल एव तरतीबी प्रतिवादी के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ,2 वाद भूमि अपने अकेलो के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र रहने बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है गैरसायल संख्या 1 ,2 अपने मकसद मे कायमयाब हो जाते है तो सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 ,2 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कालूराम पुत्र गिरधारी ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत गैरसायल संख्या 1 ,2 के पक्ष में दिनांक 05.01.1994 को करदी थी कालुराम पुत्र गिरधारी का दिनांक 02.02.1992 को देहान्त हो गया बाद देहान्त गैरसायल संख्या 1 ,2 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये सायल का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है।

सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है प्रार्थना पत्र सायल मन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है कालूराम की वसीयत के अनुसार गैरसायल संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है सायल का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही सायल किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल विवातिद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है ना ही उतरदाता का विवादित भूमि को रहन बैय करने का कोई उदेश्य है उतरादाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण गैरसायल उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल ने गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है कि वाद भूमि में सायल एव प्रतिवादी तथा तरतीबी प्रतिवीदगण का कोई हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड में वाद भूमि रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 76/70 की खसरा संख्या 215 की 9.9530हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 एव उनके पिता हस्तीराम पुत्र गिरधारी के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे पाया जाता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि में उनके पूर्वज कालूराम का हक हिस्सा था कालूराम लाऔलाद फोत हुआ था इसलिये कालुराम के हक हिस्सा की भूमि में उसके चारो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भाईयो का हक हिस्सा था किन्तु गैरसायल संख्या 1 ,2 के पिता ने अपने नाम दर्ज करवा ली है।

गैरसायल संख्या 1 ,2 का कथन है कि उनके नाम भूमि कालूराम की वसीयत के आधार पर कालूराम के देहान्त होने पर दर्ज हुई है।

सायल का कथन आधारहीन है जबकि गैरसायल का कथन तर्कसगंत है क्योकि गैरसायल ने अपने कथनो के समर्थन में रजिस्ट्रर्ड वसीयत की प्रति पेश की गई है।

गैरसायल सख्या 1 ,2 कालूराम की वसीयत के आधार पर कालूराम के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया जाना प्रतीत होता है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 ,2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किये जाने से रिकार्डेड खातेदार को क्षति होती अर्थात गैरसायल को क्षति होगी सायल जो वर्तमान में किसी प्रकार का टिनेन्ट नही है को कोई क्षति नही होगी अर्थात सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्द सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल संख्या 1 ,2 के पक्ष में पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल संख्या 1 ,2 के पक्ष में पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा दिनांक 04.05.2012 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner